।।जोन क्रमांक 02 वैशाली नगर, नगर पालिक निगम, भिलाई ।।

।। रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रण सूचना ।।

क्र. जोन 02/ लो.क.वि./ 2025–26/162 भिलाई, दिनांक 27/05/2026

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत जोन क्रं. 02, 03, 04 एवं 05 वर्ष 2011 में भूमिगत जल संरक्षण अनिवार्यता प्रक्रिया अन्तर्गत 150 वर्गमीटर से अधिक आकार के भूखण्डों के लिए वर्षा जल संरक्षण शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्थाओं के आवासीय/व्यवसायिक भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृत ड्राइंग/डिजाईन एवं नियम शर्तो के अनुसार इच्छुक अनुभवी एवं उपयुक्त जियो हाइड्रोलॉजिस्ट/एन.जी.ओ. /ठेकेदार/स्व0 सहायता समूह असंगठित कामगारों की पंजीकृत समिति से दो लिफाफा पद्धति में प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है।

धरोहर राशि रू. 22,500/– का एजेंसी एवं कार्यपालन अभियंता/जोन आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के संयुक्त नाम से एफ.डी.आर. एवं राशि रू. 1500/– का डी.डी. (किसी राष्ट्रीयकृत बैंक) तथा वांछित दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक **19/06/2026** को साय 4:00 बजे तक जोन–02 कार्यालय वैशाली नगर, नगर पालिक निगम, भिलाई में जमा करना होगा। प्राप्त निविदा प्रपत्र दिनांक **22.06.2026** को साय 5:00 बजे खोली जावेगी।

नियम एवं शर्त तथा विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है तथा विभागीय वेबसाईट www.municipalcorporationbhilai.in एवं www.uad.cg.gov.in पर देखी जा सकती है।

जोन आयुक्त
जोन–02 वैशाली नगर
नगर पालिक निगम भिलाई

Scanned with OKEN Scanner

वित्तीय ऑफर दर "स"

क्रं.	कार्य का नाम	दर	दर शब्दों में
1.	वर्षा जल संलक्षण शासकीय/अर्द्धशासकीय/ निजी संस्थाओं के आवासीय/व्यवसायिक भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किये जाने बाबत्।		

सील एवं हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला–दुर्ग

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)

योजना का उद्देश्य एवं कार्य का विवरणः– राज्य शासन द्वारा भूमिगत जल संरक्षण अनिवार्यता प्रक्रिया अन्तर्गत 150 वर्गमीटर से अधिक आकार के भू–खण्डों में भवन निर्माण के लिये वर्षा जल संरक्षण हेतु रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः राज्य शासन के निर्देशानुसार स्थल उपलब्धता के अनुसार उपयुक्त मॉडल का रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाना है। जिसके लिए यह ई.ओ.आई. (EOI) जारी किया गया है।

प्रस्तावित कार्य का विवरणः– भूजल संरक्षण हेतु संलग्न ड्राईग डिजाईन एवं मापदंड अनुसार शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजि संस्थाओं के आवासीय/व्यावसायिक भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने एवं 1 वर्ष तक संधारण/देखरेख का कार्य।

नियम व शर्त :–

1. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु अनुभवी एवं उपयुक्त जियो हाइड्रोलॉजिस्ट/पंजीकृत पर्यवेक्षक/पंजीकृत इंजीनियर/पंजीकृत वास्तुविद/एन.जी.ओ./ठेकेदार/स्व० सहायता समूह/असंगठित कामगारों की पंजीकृत समिति को उनकी सक्षमता के आधार पर सूचीबद्ध किया जावेगा।
2. दरदाता को दो लिफाफा पद्धति में प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा "ए" में निर्धारित धरोहर राशि हेतु एफ.डी.आर/डी.डी. तथा वांछित दस्तावेज के साथ एवं लिफाफा "बी" में वित्तीय ऑफर, निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव को अंतिम तिथि दिनांक 19/06/2026 को सांय 4:00 बजे तक कार्यालय जोन आयुक्त जोन–02 वैशालीनगर में जमा करना होगा।
3. एजेंसी द्वारा जियो हाइड्रोलॉजिस्ट/पंजीकृत पर्यवेक्षक/पंजीकृत इंजीनियर/पंजीकृत वास्तुविद/NGO/ठेकेदार/स्व०सहायता समूह/असंगठित कामगारों की पंजीकृत समिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र तथा लागू होने पर जी.एस.टी. अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र/पेन कार्ड/आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. निर्धारित तकनीकी मापदंड एवं ड्राइंग डिजाईन अनुसार रेन वॉटर हार्वेसिटंग का निर्माण स्वीकृत दर पर किये जाने हेतु तथा प्रस्ताव में दी गई जानकारी सही होने के संबंध में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
5. दरदाता को धरोहर राशि रु० 22,500/– का एजेंसी एवं कार्यपालन अभियंता/जोन आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के संयुक्त नाम से एफ डी आर एवं राशि रू. 1500/– का डी.डी. (किसी राष्ट्रीयकृत बैंक) का जमा करना अनिवार्य होगा। जियो हाइड्रोलॉजिस्ट/स्व० सहायता समूह/असंगठित कामगारों की पंजीकृत समितियों को धरोहर राशि जमा करने से छूट होगा।
6. प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रारूप/प्रपत्र एवं नियम शर्तो का विवरण विभागीय वेबसाई www.municipalcorporationbhilai.in तथा www.uad.cg.gov.in से डाऊनलोड किया जा सकता है। कार्यालय से कोई आवेदन प्रपत्र जारी नहीं किया जावेगा।
7. अनुमोदित एवं सूचीबद्धएन.जी.ओ./ठेकेदार/स्व० सहायता समूह/असंगठित कामगारों की पंजीकृत अनुबंध उपरान्त वार्ड–वार भवनों की सूची के अनुसार 200–200 की संख्या में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम निर्माण हेतु मानक ड्राईंग डिजाईन एवं तकनीकी मापदंड के विवरण सहित कार्यादेश जारी किया जावेगा। जो पूर्ण होने पर पुनः 200–200 की संख्या में कार्यादेश जारी किया जावेगा।
8. किसी भी एजेंसी को अग्रिम नहीं दिया जावेगा।
9. उपरोक्त कार्य यथाशीघ्र पूर्णः करने की दृष्टि से सूचीबद्ध सभी एजेंसीयों को संचालनालय नगरीय प्रशासन द्वारा स्वीकृत दर पर कार्य का आंबटन किया जावेगा।
10. शासन नियमानुसार आयकर, जी.एस.टी. कर तथा श्रमिक उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत 1 प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्रत्येक देयक से कटौती की जाएगी।
11. सशर्त प्रस्ताव मान्य नहीं होगी।

Scanned with OKEN Scanner

12. रूचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव की स्वीकृति/अस्वीकृति के समस्त अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का होगा, जिस पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

13. प्रस्ताव की वैधता अवधि 1 वर्ष तक होगी, जिसमें आपसी सहमति से वृद्धि की जा सकेगी।

14. नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची के अनुसार संबंधित भवन का निरीक्षण एवं भवन स्वामी से चर्चा उपरान्त स्थल की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार आवासीय/व्यावसायिक भवन हेतु शासन द्वारा निर्धारित 06 मॉडल टाईप–01 पूनर्भरण पिट आयताकार/वर्गाकार 1.5M × 1.5M × 1.95M, टाईप–02 पूनर्भरण पिट गोलाकार 1M Dia, 1.5M, टाईप–03 टपकन (Percolation) पिट 5M गहरा, 0.30M, टाईप–04 पूनर्भरण पिट आयताकार/वर्गाकार एवं गोलाकार पाईलिंग 1.5M × 1.5M × 1.95M, एवं पाईल 0.30M व्यास एवं गहरा 3M, टाईप–05 पाईप फिल्टर–01 फिल्डर मिडिया, वॉल्व युक्त, टाईप–06 पाईप फिल्टर–02 डुवेलइंटेंसीटी, में से उपयुक्त मॉडल का चयन करते हुये निर्धारित प्रपत्र में जानकारी कार्यालय में जमा करना होगा एंव तदानुसार कार्य प्रांरभ करना होगा। ड्राईंग डिजाइन के अनुसार मेन चेम्बर का निर्माण एवं फिल्टर मिडिया का उपयोग करना होगा।

15. सर्वेक्षण के समय सूची में सम्मिलित भवन में यदि वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित एवं उपयुक्त पाया जाता है। तब ऐसी स्थिति में मकान मालिक के साथ स्थापित सिस्टम का फोटो संलग्न करते हुये नगर निगम में जमा राशि की वापसी हेतु आवेदन प्राप्त कर निगम कार्यालय में जमा करेगा।

16. विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाईल एप्प पर निर्माण के विभिन्न चार चरणों के कार्य का जियो टैगिंगकरते हुये फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

17. सिस्टम निर्माण अन्तर्गत यू.पी.वी.सी. पाईप्स की मोटाई न्यूनतम 4 MM एवं पाईप सहित फिटिंग उच्च गुणवत्ता युक्त तथा आई.एस.आई. मार्क होना आवश्यक है।

18. प्रत्येक वार्ड में निर्माण किये गये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का वार्ड–वार विवरण निर्धारित प्रपत्र में दर्ज करना होगा। तथा देयक के साथ भवन स्वामी से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य पूर्ण होने तथा प्रभावी रूप में संचालित होने का संतुष्टी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

19. देय राशि में से नियमानुसार 5 प्रतिशत सुरक्षा निधि की कटौती की जायेगी, जिसका भुगतान वर्षा ऋतु एवं एक वर्ष के पश्चात गुण–दोष के आधार पर किया जावेगा।

20. रैन वाटर हार्वेस्टिंग की संख्या में आवश्यकतानुसार कम या वृद्धि किया जा सकेगा।

21. रूचि की अभिव्यक्ति में प्राप्त न्यूनतम दर (L1) पर सम्मिलित एजेंसियां यदि न्यूनतम दर (L1)पर कार्य करने हेतु इच्छुक हो तो उन्हे कार्य करने की पात्रता होगी।

22. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

कार्यपालन अभियंता
जोन क्र.–02, वैशाली नगर
नगर पालिक निगम, भिलाई

Scanned with OKEN Scanner